

**01.01.2023 को राजविअ में लंबित न्यायालयी मामलों को दर्शाता हुआ विवरण:****1. उच्चतम न्यायालय (02 मामले)**

| क्र. सं. | पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम       | ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय | सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं.   | दायर करने की तारीख | शामिल बड़े मुद्दे  | हलफनामा दाखिल करने की स्थिति | वर्तमान स्थिति  |
|----------|--|------------------------------|---|--------------------|--|------------------------------|---|
| 1        | 2                                      | 3                            | 4   | 5                  | 6  | 7                            | 8   |
| 1.       | एसएलपी सं. 25388/12 राजविअ द्वारा दायर | उच्चतम न्यायालय              | श्री नरेश कौशिक काउंसेल   | 23.07.2012         | राजविअ ने सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी श्री टी.एम. सम्पत को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के बराबर उच्च वेतनमान दिए जाने के आदेश को चुनौती दी है। | राजविअ पिटीशनर है।           | मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवकाश दिया है अगली तारीख नहीं दी गई है।  |
| 2.       | एसएलपी सं. 7365/15 राजविअ द्वारा दायर  | उच्चतम न्यायालय              | श्री डी.एस. मेहरा, अधिवक्ता ऑन रिकार्ड सेंट्रल एजेंसी सेक्शन, एमओएलजे | 07.04.2015         | राजविअ ने श्री एस.एस. इंगलेश्वर अधीक्षक के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के बराबर उच्च वेतन मान के आदेश से चुनौती दी है।                 | राजविअ पिटीशनर है।           | मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवकाश दिया है। अगली तारीख नहीं दी गई है। |

**2. उच्च न्यायालय (20 मामले)**

| क्र. सं. | पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम                            | ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय      | सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं.              | दायर करने की तारीख | शामिल बड़े मुद्दे          | हलफनामा दाखिल करने की स्थिति | वर्तमान स्थिति   |
|----------|---|-----------------------------------|--|--------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 1        | डब्ल्यू पी सं. 17560/2005 श्री राम राज द्वारा दायर किया गया | तेलंगाना उच्च न्यायालय (हैदराबाद) | श्री बोम्मिनेनी नारायण रेड्डी (स.सो. जनरल) | 08.08.2005         | ई.ई पद पर पदोन्नति के लिए। | दायर                         | पिटीशनर की मामले में पैरवी करने की रुचि नहीं है। तथापि, मामला अभी लंबित है। अगली तारीख अभी तय नहीं है। |

|   |   |   |                                 |            |   |                          |   |
|---|---|---|---------------------------------|------------|---|--------------------------|---|
|   |   |   | (98480399<br>51)                |            |   |                          |   |
| 2 | डब्ल्यू पी सं.<br>3341/08<br>ओ.एं.सं. 239/<br>2008 के<br>खिलाफ<br>राजविअ द्वारा<br>दायर | दिल्ली<br>उच्च<br>न्यायालय                  | श्री नरेश<br>कौशिक<br>कांसल     | 29.04.2008 | राजविअ ने श्री<br>टी.एम. संपत,<br>प्रशा. अधिकारी<br>की चिकित्सा<br>प्रतिपूर्ति के संबंध<br>में कैट के निर्णय<br>को चुनौती दी  | राजविअ<br>पिटीशनर<br>है। | सुनवाई की पिछली तिथि<br><b>21.11.2022</b> अगली<br>तारीख अभी तय नहीं है। |
| 3 | डब्ल्यू पी सं.<br>9083/09 श्री<br>टी.एम. संपत<br>द्वारा दायर<br>किया गया।               | दिल्ली<br>उच्च<br>न्यायालय                  | श्री आर.वी.<br>सिन्हा<br>कांसल  | 06.04.2009 | श्री टी.एम संपत<br>ने श्री दयानंद<br>उपनिदेशक<br>(प्रशासन) की<br>प्रतिनियुक्ति पर<br>नियुक्ति के लिए<br>आदेश तथा उनका<br>उ.नि.(प्रशा.) पर<br>नियुक्ति के लिए<br>डीपीसी समीक्षा<br>बैठक पर ओदश<br>दिनांक<br>07.04.2008 सं.<br>220/2007 को<br>चुनौती दी है। | दायर                     | सुनवाई की पिछली तिथि<br><b>30.11.2022</b> अगली<br>तारीख अभी तय नहीं है। |
| 4 | डब्ल्यू पी सं.<br>11709/09 श्री<br>एन. डी.<br>शुक्ला ने<br>दायर किया।                   | मध्य<br>प्रदेश उच्च<br>न्यायालय<br>(जबलपुर) | श्री राधे<br>लाल गुप्ता<br>एसजी | 11.06.2009 | ए.सी.पी योजना<br>के अंतर्गत लाभ<br>देने के संबंध में  | दायर                     | अगली तारीख अभी तय<br>नहीं है।   |
| 5 | डब्ल्यू पी(सी)<br>सं. 8604/10<br>श्री टी.एम.<br>संपत द्वारा<br>दायर किया<br>गया।        | दिल्ली<br>उच्च<br>न्यायालय                  | श्री आर.वी.<br>सिन्हा,<br>कांसल | 20.12.2010 | दिनांक<br>23.12.2004 को<br>उ.नि.(प्रशा.) के<br>पद पर चयन<br>तथा उ.नि.(प्रशा.)<br>के पद पर<br>पदोन्नति के लिए<br>चयन समिति की<br>बैठक के कार्यवृत्त<br>की समीक्षा  | दायर                     | सुनवाई की पिछली तिथि<br><b>30.11.2022</b> अगली<br>तारीख अभी तय नहीं है। |
| 6 | डब्ल्यू पी सं.<br>366/2017<br>राजविअ द्वारा<br>दायर किया<br>गया।                        | दिल्ली<br>उच्च<br>न्यायालय                  | श्री आर.वी.<br>सिन्हा<br>कांसल  | 06.01.2017 | राजविअ ने श्री<br>टी.एम. सम्पत<br>प्रशा. अधिकारी के<br>मामले में दिनांक<br>27.06.2008 को<br>अनुशासनात्मक<br>प्राधिकारी द्वारा<br>जारी आदेश को   | राजविअ<br>पिटीशनर<br>है। | सुनवाई की अगली तिथि<br><b>02.05.2023</b> है।                            |

|    |   |                                    |  |            |   |                    |  |
|----|---|------------------------------------|--|------------|---|--------------------|--|
|    |   |                                    |  |            | रद्द करते हुए दिनांक 04.08.2016 को कैट, दिल्ली के ओ.ए. सं. 2504/2008 को चुनौती दी है।   |                    |  |
| 7  | सिविल अपील सं. 74/2016 मैसर्स महाश्वेता राय चौधरी एंड कम्पनी द्वारा दायर        | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर) | श्री जिनेंद्र कुमार जैन                | 15.12.2015 | ओवर बॉर्डन ड्रिलिंग के लिए ₹11,60,000/- के लंबित भुगतान के समायोजन के लिए।  | दायर               | प्लीडिंग पूरी हो गई है। अंतिम बहस करना बाकी है। <b>अगली तारीख अभी तय नहीं है।</b>              |
| 8  | डब्ल्यू पी सं. 32371/2014, श्री एस.ए. चिन्नासामी तथा अन्य द्वारा दायर किया गया। | मद्रास उच्च न्यायालय               | श्री जी कार्तिकेयन ए.एस.जी, 9445758059 | 04.12.2014 | पिटीशनर ने अंत:राज्यीय पोन्नियार (नेदुंगल अनीकट)-पालर नदी जोड़ परियोजना के 54.15 किमी लिंक से 6 किमी छोड़ने और उसे अन्य स्थान से निकालने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है।                      | दायर               | राजविअ तथा जल संसाधन मंत्रालय दोनों प्रोफार्मा पार्टी हैं। <b>अगली तारीख तय नहीं की गई है।</b> |
| 9  | डब्ल्यू पी सं. 1636/2018 राजविअ द्वारा दायर किया गया।                           | दिल्ली उच्च न्यायालय               | श्री नरेश कौशिक, अधिवक्ता              | 02.01.2018 | राजविअ ने श्री एस.एस. इंगलेश्वर, अधीक्षक ग्रेड-I (अवकाश प्राप्त) को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के संबंध में कैट, नई दिल्ली के दिनांक 27.11.2017 के ओ.ए.सं. 773/2017 के आदेश को चुनौती दी है। | राजविअ पिटीशनर है। | <b>सुनवाई की अगली तिथि 25.05.2023 है।</b>  |
| 10 | डब्ल्यू पी (एम डी) सं. 17307/2018 श्री के.के. रमेश                              | तमिल नाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)    | श्री के. बालासुंदरम                    | 12.07.2018 | तमिलनाडु में युद्ध स्तर पर जल भंडारण के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए  | दायर               | यू.एस.आर.सं. 66873 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफीडेबिट दायर की गई         |

|    |  |                                 |                     |            |   |      |  |
|----|--|---------------------------------|---------------------|------------|---|------|--|
|    | द्वारा दायर किया गया।  |                                 |                     |            | (राजविअ से संबंधित नहीं है।)  |      | है। अगली तारीख तय नहीं की गई है।   |
| 11 | डब्ल्यू पी सं. 21170/2017 श्री एम मुनियासामी फाउंडर सह प्रबंधन ट्रस्टी, तमिलनाडु लीगल सेफ्टी मूवमेंट | तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)  | श्री के. बालासुंदरम | 14.03.2019 | किसानों को बचाने के लिए कावेरी, पलारु, वैगई, थमीरा परानी-बैप्पारु और कुंदारु जैसी नदियों को आपस में जोड़ने के लिए | दायर | यूएसआर सं. 66874 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है।      |
| 12 | डब्ल्यू पी सं. 1590/2018 श्री ए.एम. सुंदरावैल द्वारा दायर किया गया।                                  | तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)  | श्री के. बालासुंदरम | 14.03.2019 | तमिलनाडु की सिंचाई परियोजना में सरकारी निधि का दुरुपयोग (राजविअ के दायरे में नहीं है)                             | दायर | यूएसआर सं. 67089 दिनांक 28.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है।      |
| 13 | डब्ल्यू पी सं. 4000/2019 श्री एन. गणेशकरन द्वारा दायर किया गया।                                      | तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)  | श्री के. बालासुंदरम | 14.03.2019 | देरापराई बांध का निर्माण (राजविअ के दायरे में नहीं है)  | दायर | यूएसआर सं. 67088 दिनांक 28.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है।      |
| 14 | डब्ल्यू पी सं. 4351/2019 श्री ए. मुरुगसन सचिव, परिवालियल सुगरकेन, फार्मर्स एशोसिएशन                  | तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)  | श्री के. बालासुंदरम | 14.03.2019 | मेयानुर बैराज से नहर द्वारा कावेरी अग्नीयारु तथा दक्षिणी वेल्लार नदियों को जोड़ना। राजविअ गतिविधियों से संबंधित   | दायर | यूएसआर सं. 66879/2019 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 15 | डब्ल्यू पी सं. 2864/2017 श्री कुमारी महा सभा द्वारा दायर किया गया।                                   | तमिलनाडु उच्च न्यायालय (मदुरई)  | श्री के. बालासुंदरम | 14.03.2019 | कन्याकुमारी जिले में बांधों एवं तालाबों पर ड्रेज डिसिल्ट एवं रखरखाव करना (राजविअ के दायरे में नहीं है)            | दायर | यूएसआर सं. 66983/2019 दिनांक 27.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है। |
| 16 | डब्ल्यू पी सं. 4998/2017 श्री के.के. रमेश द्वारा दायर किया गया।                                      | तमिल नाडु उच्च न्यायालय (मदुरई) | श्री के. बालासुंदरम | 14.03.2019 | जलाशयों में जमा कीचड़ और कीचड़ युक्त मिट्टी को निकालना (राजविअ के दायरे में नहीं है)                              | दायर | यूएसआर सं. 66872 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा न्यायालय में काउंटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है।      |
| 17 | डब्ल्यू.पी.सं.   | मध्य                            | श्री फैजल           | 10.09.2019 | स्वर्ण रेखा नदी   | दायर | दिनांक 06.03.2020 के   |

|    |   |                                       |                                       |             |  |                       |   |
|----|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|-----------------------|---|
|    | 19102/2019<br>श्री विश्वजीत रातोनिया द्वारा दायर किया गया।  | प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच | अली शाह, अधिवक्ता                     |             | की वाटर हार्वेस्टिंग                           |                       | द्वारा न्यायालय में कांउटर एफिडैविट दायर की गई है। अगली तारीख तय नहीं की गई है।   |
| 18 | डब्ल्यू.पी.सं. 46919/14 श्री जी. राजन्ना, एमटीएस, नासिक द्वारा दायर किया गया।   | कर्नाटक उच्च न्यायालय (बेंगलुरु)      | श्री पी.बी. पुट्टसिद्देया, सीजीएससी   | 23.19.2014  | फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में            | दायर                  | अगली तारीख तय नहीं की गई है।  |
| 19 | डब्ल्यू.पी.सं. 11438/2022 श्री पुष्पेंद्र, सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या 07/2021 मे कनिष्ठ अभियंता उम्मीदवार द्वारा दायर किया गया। | दिल्ली का उच्च न्यायालय               | श्री अजय जैन, वरिष्ठ पैनल परामर्शदाता | 29.07.2022  | श्री पुष्पेंद्र की पद पर नियुक्ति के संबंध में | भरने की प्रक्रिया में | अदालत ने राजविअ को आईएसआईएस के स्थगन आदेश दिनांक 02.08.2022 के तहत नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द नहीं करने का निर्देश दिया है। अगली तारीख 07.12.2022 है। |
| 20 | डब्ल्यू.पी.सं. 6318/2022 श्री मुज्जफर अहेमद रिटायर्ड निदेशक(तक.)  | दिल्ली का उच्च न्यायालय               | श्री संजीव कुमार बाल्यान              | 18.04. 2022 | सीडब्ल्यूसी के समतुल्य ग्रेड पे पाने हेतु      | भरने की प्रक्रिया में | अगली तारीख 16.05.2023 है।   |

3. केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट) (07 मामले)

| क्र.सं. | पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम                                 | ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय | सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं. | दायर करने की तारीख | शामिल बड़े मुद्दे  | हलफनामा दाखिल करने की स्थिति | वर्तमान स्थिति                     |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | ओ.ए. सं. 31/2018 श्री अभिषेक राव सूर्यवंशी द्वारा दायर किया गया। | कैट, जबलपुर                  | श्री ताजुद्दीन खान, अधिवक्ता  | 09.01.2018         | अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के संबंध में                             | दायर                         | अगली तारीख तय नहीं की गई है।       |
| 2.      | ओ.ए. सं. 1122/2017 श्री रमेश चंद्र, अ.श्रे.लि. द्वारा दायर       | कैट, दिल्ली                  | श्री वाई. पी. सिंह, अधिवक्ता  | 28.03.2017         | याचिकाकर्ता ने ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी लाभ वापस लेने के लिए राजविअ के | दायर                         | सुनवाई की अगली तिथि 09/02/2022 है। |

|    |   |             |  |            |   |                       |  |
|----|---|-------------|--|------------|---|-----------------------|--|
|    | किया गया।   |             |  |            | निर्णय के विरुद्ध ओ.ए. दायर किया।   |                       |  |
| 3. | ओ.ए. सं. 3703/2018<br>श्री मती संगीता मेहरोत्रा, आशु लिपिक-II द्वारा दायर किया गया। | कैट, दिल्ली | श्री विजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता                                      | 28.09.2018 | याचिकाकर्ता ने ए.सी.पी/ एम.ए.सी.पी लाभ वापस लेने के लिए राजविअ के निर्णय के विरुद्ध ओ.ए. दायर किया। | दायर                  | सुनवाई की अगली तिथि 06/02/2022 है।       |
| 4. | ओ.ए. सं. 260/50/2021<br>श्री अशोक कुमार मोहन्ती एवं अन्य के द्वारा दायर किया गया    | कैट, कटक    | श्री जितेन्द्र कुमार नायक, सीनियर पैनल काउंसिल (सी.जी.) 9437070166 | 27.01.2021 | पेंशन नियम 1972 के अनुसार पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के संबंध में                                 | दायर                  | सुनवाई की अगली तिथि अधिसूचित नहीं की गई। |
| 5. | ओ.ए. सं. 242/2021<br>श्री नरेश कुमार द्वारा दायर किया गया                           | कैट, जोधपुर | श्री के.एस. यादव, अधिवक्ता एसीजीएससी                               | 17.12.2021 | राजविअ में कनिष्ठ अभियंता के पद पर उनकी सेवा बहाल करने के संबंध में                                 | भरने की प्रक्रिया में | सुनवाई की अगली तिथि 03.01.2023 है।       |
| 6. | ओ.ए. सं. 134/2022<br>श्री टी. महेन्द्रन द्वारा दायर किया गया                        | कैट, चेन्नई | श्री जी. दामोदरन   | 25.02.2022 | सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 16.10.2020 से   | भरने की प्रक्रिया में | सुनवाई की अगली तिथि 11.01.2023 है।       |

4. जिला न्यायालय के मामले (01 मामले)

| क्र.सं. | पिटीशन संख्या तथा पिटीशनर का नाम                                     | ट्रिब्यूनल का नाम / न्यायालय                       | सीजीएससी का नाम और मोबाइल नं.          | दायर करने की तारीख | शामिल बड़े मुद्दे  | क्या काउंटर जवाब दायर किया गया | वर्तमान स्थिति                     |
|---------|--|--|--|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | सी. एस. सं. 11047/2016<br>श्रीमती सुनीता वर्मा द्वारा दायर किया गया। | सीनियर सिविल जज सह आरसी, शाहदरा, कड़कड़डूमा कोर्ट, | श्री एस एन वर्मा, एसीजीएससी 9313708816 | 01.12.2016         | जीए डिजिटल वेब वर्ल्ड, नई दिल्ली (आउट सोर्स एजेंसी) के माध्यम से वादी को 18% प्रति वर्ष की दर से | दायर                           | सुनवाई की अगली तिथि 07.01.2023 है। |

|  |  |        |  |  |   |  |  |
|--|--|--------|--|--|---|--|--|
|  |  | दिल्ली |  |  | लंबित ब्याज के साथ प्लांटिफ की सेवा की बहाली तक 55334 रुपये की राशि और पिछली मजदूरी का भुगतान करें।<br><br>इस मामले में राजविअ दूसरा पक्ष है। |  |  |
|--|--|--------|--|--|---|--|--|

**सार**

| क्र.सं. | न्यायालय का नाम        | मामलों की संख्या |
|---------|------------------------|------------------|
| 1.      | माननीय उच्चतम न्यायालय | 02               |
| 2.      | माननीय उच्च न्यायालय   | 20               |
| 3.      | माननीय कैट न्यायालय    | 06               |
| 4.      | माननीय जिला न्यायालय   | 01               |
|         | <b>कुल</b>             | <b>29</b>        |